न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : ओ.पी. बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 07/2018 (प्रा.प. आवंटन निरस्त)
RCMS NO : 2018/00021

अनवान

1. श्री राजू उर्फ राजिया पिता चतरा गोरणा, निवासी खाखरा खेडा, तहसील झाडोल, जिला उदयपुर
2. श्री बदा पिता चतरा गोरणा, निवासी खाखरा खेडा, तहसील झाडोल, जिला उदयपुर
3. श्री दीता पिता मेघा गोरणा, निवासी खाखरा खेडा, तहसील झाडोल, जिला उदयपुर
4. श्री काउवा पिता चतरा गोरणा, निवासी खाखरा खेडा, तहसील झाडोल, जिला उदयपुर
5. श्री अन्ना पिता चतरा गोरणा, निवासी खाखरा खेडा, तहसील झाडोल, जिला उदयपुर
6. श्री नक्का पिता चतरा गोरणा, निवासी खाखरा खेडा, तहसील झाडोल, जिला उदयपुर
7. श्रीमती हमेरी पत्नि रूपलाल गोरणा, निवासी खाखरा खेडा, तह. झाडोल, जिला उदयपुर

– प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री नारू पिता अम्बावा गमेती, निवासी खाखरा खेडा, तहसील झाडोल, जिला उदयपुर
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार झाडोल (फ.), जिला उदयपुर

–विपक्षीगण

उपस्थित

1. श्री संजय सोनी, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री मनीष शर्मा, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1

प्रार्थनापत्र अंतर्गत नियम 14 (4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 बावत आवंटन निरस्त कराये जाने

* निर्णय *

दिनांक 26-02-2020

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 प्रस्तुत किया कि मौजा खाखरा खेडा, तहसील झाड़ोल की साबिक आराजी संख्या 1 में रकबा 05 बीघा का आवंटन विपक्षी संख्या 1 को नियम विरूद्ध किया गया है, क्योंकि विपक्षी संख्या 1 भूमिहीन काश्तकार नही है। विपक्षी संख्या 1 के संयुक्त परिवार के नाम से 27½ बीघा 03 बिस्वा भूमि श्री अम्बावा पिता नाथा के नाम खातेदार हक से दर्ज रेकर्ड है एवं उक्त आराजी के वर्तमान नम्बर 330 है। साबिक आराजी संख्या 1 के वर्तमान आराजी संख्या 330 पर प्रार्थीगण का कब्जा उनके पिता के समय से निरन्तर चला आ रहा है एवं प्रार्थीगण ही उक्त भूमि का उपयोग एवं उपभोग कर रहे है। आवंटन अधिकारी द्वारा वस्तु स्थिति की जांच किये बिना दिनांक 09.03.1984 को विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में कथित आवंटन आदेश जारी कर दिया। उक्त आराजी प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि

के मध्य स्थित है। विपक्षी संख्या 1 उक्त भूमि से दूर निवास करते है। आवंटन से पूर्व अथवा आवंटन के पश्चात् विपक्षी संख्या 1 या उनके पूर्वाधिकारियों का कब्जा काश्त नही रहा हैं। आवंटन से पूर्व कोई प्रोक्लेमेशन जारी नही हुआ है एवं मौका जांच भी नही की गयी है, कथित आवेदन में भी कई कॉलम खाली छुटे हुये है एवं विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना उक्त भूमि का आवंटन विपक्षी संख्या 1 को किया गया है। आवंटन उपरान्त आवंटन शर्तो की पालना भी विपक्षी संख्या 1 द्वारा नही की गयी है। प्रार्थीगण को पुराना कब्जा होने के सम्बन्ध में धारा 91, भू राजस्व अधिनियम, 1956 के नोटिस भी जारी किये गये है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में किये गये आवंटन दिनांक 09.03.1984 को खारिज किया जावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये एवं अपना पक्ष/प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया। विपक्षी संख्या 1 की ओर से श्री मनीष शर्मा अधिवक्ता द्वारा वकालात पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में जवाब पेश किया कि विपक्षी अनुसूचित जनजाति का होने से मौजा खाखरा खेडा की कथित आराजी का आवंटन उपखण्ड अधिकारी झाडोल द्वारा नियमानुसार किया जाकर मौके पर आधिपत्य प्रदान किया गया है एवं आवंटन से लेकर आज तक उक्त भूमि पर विपक्षी संख्या 1 का निर्बाध रूप से कब्जा चला आ रहा है। आवंटन उपरान्त विपक्षी संख्या 1 द्वारा भारी लागत लगाकर भूमि को उपजाउ बनाया है। प्रार्थीगण का वादग्रस्त आराजी से कोई सम्बन्ध नही है। प्रार्थीगण द्वारा आवंटन के लगभग 34 वर्ष उपरान्त विपक्षी संख्या 1 को परेशान करने के उद्देश्य से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण द्वारा विपक्षी संख्या 1 की खातेदारी भूमि में दखल करने पर विपक्षी संख्या 1 द्वारा सन् 2011 में उपखण्ड अधिकारी झाडोल में स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया था, जिसमें न्यायालय द्वारा प्रार्थीगणों के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्रदान की गयी। मौके पर पत्थरगढी भी की गयी है। आवंटन उपरान्त आवंटन शर्तो की पालना की जाने से विवादित आराजीयात पर विपक्षी संख्या 1 को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है एवं खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के उपरान्त 14 (4) की कार्यवाही मेन्टेनेबल नही है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जावे एवं विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में किये गये आवंटन को बहाल रखा जावे।

प्रकरण में तहसीलदार झाड़ोल, जिला उदयपुर से विवादित आराजीयात पर वर्तमान मे किसका कब्जा है तथा कौन काश्त कर रहा है आदि के सम्बन्ध में मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार झाड़ोल द्वारा अपने पत्र क्रमांक 557 दिनांक 13.03.2019 से प्रकरण में प्रेषित मौका रिपोर्ट में न्यायालय को अवगत कराया कि मौजा खाखरा खेडा की विवादित हाल आराजी संख्या 880/330 रकबा 0.8000 हेक्टेयर भूमि राजस्व रेकर्ड में नारू पिता अम्बावा भील के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकर्ड है। वर्तमान में भूमि पडत होकर किसी का कब्जा काश्त नही है। आवंटी द्वारा वक्त आवंटन कही ओर भूमि नप्ति कर देना बताया है, अब कही ओर बताई जा रही है। तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर उपखण्ड अधिकारी झाडोल से आवंटन से

सम्बन्धित मूल पत्रावली संख्या 513/1984 तलब की जाकर मामले में बहस हेतु तिथि नियत की गयी।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक उपस्थित हुए। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा स्वतंत्र गवाहों के शपथ पत्र पेश किये। मामले में सर्वप्रथम धारा 5, मयाद अधिनियम पर उभय पक्ष को सुना गया एवं न्यायहित में विलम्ब की आवधि को कण्डोन किया जाकर मूल प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी। मूल प्रार्थना पत्र पर बहस प्रारम्भ करते हुए प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए उक्त आवंटन में उद्घोषणा जारी न होना, मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा होना, आवंटन से पूर्व ऑक्यूपाईड एवं अनऑक्यूपाईड भूमि की सूची तैयार न होना, विपक्षी संख्या 1 का भूमिहीन न होना, विवादित आराजी प्रार्थीगण की भूमि के मध्य स्थित होना, आवंटन में मिसरिप्रजेन्टेशन होना, आदि आधारों पर विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त करने की मांग की। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये :–

- ए.आई.आर. 2000 पृष्ठ 1165
- आर.आर.डी. 1998 पृष्ठ 589
- आर.आर.टी. 2015 (2) पृष्ठ 790
- आर.आर.डी. 2009 पृष्ठ 1

विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता ने बहस भाग लेते हुये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मिथ्या तथ्यों पर आधारित होना, उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रार्थीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना, आवंटन से पूर्व के 91 नोटिस होना, पत्थरगढी होना, विपक्षी संख्या 1 का रेकर्डेड खातेदार होना, आवंटन में पूर्णतया विधिक प्रक्रिया का अपनाया जाना अवगत कराया। विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा यह भी कथन किया गया कि विपक्षी संख्या 1 द्वारा उक्त आराजी पर आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पूर्णतया पालना करने से उसे खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है एवं खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के उपरान्त इस न्यायालय में आवंटन निरस्ती का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे। विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये :–

- डी.एन.जे 2016 (2) पृष्ठ 732
- आर.आर.टी 2009 (1) पृष्ठ 453
- आर.आर.टी 2003 (2) पृष्ठ 921
- आर.आर.टी 2016 (2) पृष्ठ 769
- आर.आर.टी. 2011 (1) पृष्ठ 383

हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी तथा पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र, विपक्षी संख्या 1 के जवाब, तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट, आवंटन पत्रावली, न्यायिक दृष्टांतों, आदि का अवलोकन किया एवं वर्णित तथ्यों पर गम्भीरता से मनन किया। उपखण्ड अधिकारी झाडोल से प्राप्त आवंटन पत्रावली संख्या 513/1984 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि विपक्षी संख्या 1 द्वारा मौजा खाखरा खेडा, तहसील झाडोल की साबिक आराजी संख्या 1 में से आवंटन हेतु आवेदन करने पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट उपरान्त आवंटन कमेटी की राय के आधार पर विपक्षी संख्या 1 के नाम कथित आवंटन किया गया है। आवंटन

कमेटी के कोरम पर तहसीलदार, सरपंच, सदस्य के हस्ताक्षर मौजूद हो अध्यक्ष के रूप में उपखण्ड अधिकारी झाडोल के हस्ताक्षर उपलब्ध है। आवंटन उपरान्त विधिवत कब्जा सुपुर्द किया जाना, आवंटन पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर है। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पास पहले से भूमि उपलब्ध होने का उल्लेख किया है, किन्तु उक्त भूमि वक्त आवंटन विपक्षी संख्या 1 के पास आवंटन नियमों में निर्धारित सीमा से अधिक भूमि उपलब्ध हो अथवा आवंटन नियमों में निर्धारित सीमा अनुसार भूमिहीन की परिभाषा में विपक्षी संख्या 1 न आता हो, ऐसा कोई दस्तावेज प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा धारा 91 के नोटिस पेश किये है, किन्तु दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उक्त नोटिस आवंटन से पूर्व के नही है। मामले मे यह भी स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में विवादित आराजी पर आवंटन के पूर्व से स्वयं का कब्जा होना अवश्य अवगत कराया है, किन्तु प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा इसकी पुष्टि हेतु न तो कोई पुरानी राजस्व रेकर्ड इत्यादि सलंग्न किया है और न ही धारा 91 के नोटिस आदि सलंग्न किये है, जिससे यह साबित हो सके की प्रार्थीगण का उक्त विवादित भूमि पर पुराना कब्जा विपक्षी सं. 1 को किये गये आवंटन के पूर्व से चला आ रहा हो। यदि प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर पुराना कब्जा होता तो उस पर अवश्य ही धारा 91, भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कार्यवाही की जाकर पेनाल्टी आरोपित की जाती, जिसकी रसीदे प्रार्थीगण के पास उपलब्ध होती, जो प्रार्थीगण का कब्जा साबित करती। प्रार्थीगण एवं उनके अधिवक्ता पूर्ववर्ती कब्जे के संबंध में धारा 91, भू राजस्व अधिनियम 1956 की रसीदे प्रस्तुत करने मे असफल रहे हैं। विपक्षी संख्या 1 उक्त भूमि पर रेकर्डेड खातेदार है एवं खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के पश्चात् 14 (4) की कार्यवाही की जाना न्याय संगत प्रतीत नही होती है। उक्त आवंटन मे कोई मिसरिप्रजेन्टेशन हुआ हो, ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं हैं, आवंटन प्रार्थना पत्र में कोई तथ्य छुपाये गये, ऐसा कोई साक्ष्य नही है। इस प्रकार समस्त तथ्यों पर विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य पाया जाता है। विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रकरण में चस्पा होते है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4), कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है एवं मौजा खाखरा खेडा तहसील झाडोल की साबिक आराजी संख्या 1 में से रकबा 05 बीघा भूमि पर उपखण्ड अधिकारी झाडोल द्वारा मिसल संख्या 513/1984 से किया गया आवंटन यथावत रखा जाता है। प्रार्थीगण यदि चाहे तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानो के अंतर्गत सक्षम न्यायालय में चाराजोही के लिये स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(ओ.पी. बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2020.03.02 12:16:15 IST
Reason: SelfAttested
Location: